

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.22 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

Rajesh Singh

..... Applicant

-Versus-

State of Madhya Pradesh

..... Respondent

INDEX

Sr. No.	Description	Pg No.
1.	FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT DATED 04.02.2023 BY JOINT COMMITTEE OF MPPCB, DFO, COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL, DM BHOPAL IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.01.2023 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	1-13

FILED BY



RAGHAV SHARMA

Advocate for Madhya Pradesh Pollution Control Board
Address: Basement, B5-202,
Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029
Ph. No.: (+91)-8527066461;
Email:raghav@sarcolegal.in

Action Taken Report

Ref: Action taken report in compliance to the orders of Hon'ble NGT (PB) in OA no 22/2023 dated 09/01/2023 of Rajesh Singh Vs State of Madhya Pradesh.

Hon'ble NGT issued following instructions on dated 09/01/2023 in the matter of OA 22/2023 (PB) :-

"In view of above, let a joint committee of Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal, District Magistrate, Bhopal, DFO, Urban Forestry, Bhopal and State PCB look into grievances and take remedial action as per law"

In compliance to the orders of Hon'ble NGT a joint committee is constituted comprising of following officials:

1. Shri. K.V.S. Choudary, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal
2. Shri. Alok Pathak, DFO, Urban Forestry, Bhopal
3. Shri Neeraj Likhar, Chief City Planner, BMC, Bhopal
4. Shri Brajesh Sharma, Regional Officer, MPPCB, Bhopal
5. Shri Kshitij Sharma, SDM, Kolar, Bhopal

During inspection concern site engineer of BMC Shri Gaurav was also present along with the details of the said colony. The joint committee of above officials visited the site Subhalaya Vihar, E-8 Extension, Bawadiakalan, Bhopal on dated 04/02/2023. Some of the residents of the Subalaya Vihar colony were also present at the time of visit. The joint committee discussed the issue with residents and the observations recorded during the visit are as under. The Geographical location, photographs and visual observations were recorded.-

- 1) The Subhalaya Vihar colony is located in E-8 Extension, Bawadiyakalan. The geographical location measured during the visit is Latitude 23.174051^0 and Longitude 77.436852^0 . The copy of Google map is enclosed as **Annexure - I**
- 2) The colony is approx 50 meters away in west side of 24 meter main road.
- 3) The layout plan of the colony approved by Town & Country Department Bhopal is enclosed as **Annexure - II**

- 4) There are 05 major parks shown in the layout plan. Committee visited the parks along with residents. Photographs of the visit are enclosed as **Annexure - III**
- 5) Committee visited the park for which petition is filed along with residents.
- 6) This park is located at the right side of the entrance of the colony and having rectangular shape.
- 7) The BMC engineer informed the committee that as per layout the size of park is 592.66 Sq.meters and approx 1500 sq feet of south portion of the park was encroached.
- 8) Committee observed that the encroachment is removed and some building material was laying on the site. No construction activity observed at the time of visit.


Action Taken

- 9) Municipal Corporation, Bhopal Vide letter dated 21/10/2022 issued notice to the encroacher to stop the construction in the encroached part of the park. The copy is enclosed as **Annexure- IV**
- 10) Municipal Corporation, Bhopal Vide letter dated 21/10/2022 issued notice to the encroacher to remove the encroached part or BMC will dismantle the encroached part of the park. The copy is enclosed as **Annexure- V**
- 11) Municipal Corporation, Bhopal on dated 04/11/2022 dismantled the encroachment and removed the illegal construction.
- 12) Municipal Corporation, Bhopal Vide letter dated 04/11/2022 issued notice to the architect for approving the drawing **Annexure- VI** and vide letter dated 16/11/2022 suspended the registration of architect. The copy is enclosed as **Annexure- VII**


Kshitij Sharma
SDM
Kolar, Bhopal


Brajesh Sharma
Regional Officer
MPPCB, Bhopal


Neeraj Likhari
Chief City Planner
BMC, Bhopal


Alok Pathak
DFO
Urban Forestry, Bhopal


K.V.S. Choudary (IAS)
Commissioner
Municipal Corporation, Bhopal

**Google Image of Subhalaya Vihar, Bawadiyakalan, Bhopal
(Imagery Date 17/11/2022)**



PROPOSED DEMARCATION LAY-OUT
 PLAN ON KH. NO-147/9/2,
 AT VILLAGE BAWADIA KALAN BHOPAL
 BELONGING TO:-
 GOURAV GRAH NIRMAN SAHKARI SANSTHA
 MYDT, BHOPAL.

TOTAL AREA OF LAND (5.00 ACRE) = 20235.00 SQM

STATEMENT OF AREA

TOTAL AREA OF LAND (5.00 ACRE) =	20235.00 SQM
PLOTTED AREA	= 11950.97 SQM 59.06%
CONVENIENT SHOPS	= 452.16 SQM 2.23%
OPEN AREA	= 2023.50 SQM 10.00%
INFORMAL SECTOR AREA	= 373.62 SQM 1.85%
ROAD AREA	= 5434.75 SQM 26.86%

AREA FOR INFORMAL SECTOR (5.00ACRE)

TOTAL AREA OF LAND	= 20235.00 SQM
AREA REQ. FOR INFORMAL SECTOR 15%	= 3035.25 SQM
BUP AREA REQ(3035.25x0.6x0.25)	= 455.28 SQM
PLOT AREA REQ WITH (G+3)	= 363.60 SQM
BUP AREA EACH UNIT	= 20.20 SQM
TOTAL UNITS	= 23 NOS



इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1637 दिनांक 19.05.2006 में उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने के साथ लागू कराया जाएगा।
 स्वतंत्र भूमि की बंधन सीमा 4 अंग प्रकर का विवाद होने पर अनुमोदित अधिनियम इस कल्याण सहित विवाद भाग जायेगा।
 अपने पुरातन लक्षणों के संतुष्ट होने पर ही मान्य किया जायेगा। जिसकी अनुमति इस कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा।
 प्रस्तावित अधिनियम में कलंक आने पर ही निरस्त प्रवेश नगर पालिका (कन्सेन्सुस/नगर कमीशन/नगर निरीक्षण/नगर कार्य) नियम, 1999 के
 नियम 100) के अन्तर्गत ही 22/10 वर्षीय की मूल 20 अक्षरीय इकाई (कन्सेन्सुस/नगर कमीशन/नगर निरीक्षण/नगर कार्य) द्वारा अनुमोदित नगर
 निगम/नगर कार्य सुविधाएं कराया जायेगा।
 प्रस्तावित स्वतंत्र सीमा तक दस्तावेज को नगर की निकास सुविधाएं किया जाना अनिवार्य होगा। आता मार्ग को गेट करवाया जाएगा
 अर्थात् किया जाना मान्य नहीं होगा।
 स्वतंत्र पर विचार करके पूर्णतः प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात् ही किसी प्रकार का नगर निर्माण कार्य मान्य होगा।

चिन्हंकित मानाचक्र

यह मानचित्र भूमि-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है

KHASRA PLAN
 1"=330'

सुनुवत वकालत
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला कार्यालय, भोपाल



SCHEDULE OF PLOTS (AS PER PARA NO-456 OF BDP-2005)

DEMARCATION PLAN

LOCATION PLAN

SR. NO.	PL. NO.	PLOT SIZE IN METER	PLOT AREA SQM	TOTAL PLOTS	TOTAL PLOT AREA SQM	GROUND COVERAGE	MOS.				F.A.R.	MAXIMUM HEIGHT	TYPE
							F	R	S	S			
1	1	(12.84+8.00)/2 x 15.25	158.90	1	158.90	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
2	2 to 18	8.00 x 15.25	122.00	17	2074.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
3	19	(8.0 + 9.2) / 2 x 15.25	131.15	1	131.15	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
4	20 to 30	8.00 x 15.25	122.00	11	1342.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
5	31	(8.12 + 10.0) / 2 x 15.25	158.60	1	158.60	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
6	32	(11.88 + 10.0) / 2 x 15.25	166.83	1	166.83	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
7	33 to 62	8.00 x 15.25	122.00	30	3660.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
8	63	(12.14 + 10.0) / 2 x 15.25	169.42	1	169.42	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
9	64 to 75	8.00 x 15.25	122.00	12	1464.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
10	76	(9.45 + 11.35) / 2 x 15.25	158.60	1	158.60	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
11	77 to 83	8.00 x 15.25	122.00	7	854.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
12	84	(8.0 + 10.08) / 2 x 15.25	137.86	1	137.86	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
13	85 to 95	8.00 x 15.25	122.00	11	1342.00	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
14	96	(8.45 + 11.75) / 2 x 15.25	154.02	1	154.02	50%	3.00	1.50			1.25	12.00M	ROW
15	97	(8.0 + 11.30) / 2 x 15.25	147.16	1	150.67	50%	3.00	1.50			2.50	12.00M	ROW(con shop)
16	98	8.00 x 15.25	122.00	1	122.00	50%	3.00	1.50			2.50	12.00M	ROW(con shop)
17	99	(14.4 + 9.6) / 2 x 15.25	183.00	1	176.90	50%	3.00	1.50			2.50	12.00M	ROW(con shop)

यह मानचित्र कार्यालय के पत्र क्रमांक 2763 का सहित है, एवं इसे पत्र क्रमांक 24/18/2006 उन्मुखित कर्ता के साथ उपयोग किया जाये।

MOHD. YUSUF
 TOWN PLANNER
 ARCHITECT
 MOHD YUSUF
 TOWN PLANNER
 Reg. No. Co-Reg. No. 171402
 18/7/9 A SAKET NAGAR, BHOPAL
 e-mail: mohd.yusuf@rediffmail.com

Photographs showing the visit of joint committee to the Shubhalaya Vihar Colony, Bawadiakalan, Bhopal in reference to OA No 22/2023 (PB) (Rajesh Singh vs Govt of MP) Dated 04/02/2023











कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र. 4625/भ.अ.शा./2022

भोपाल दिनांक 21/10/2022

नोटिस धारा 302 (1) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत

प्रति,

श.रा.प. नि.सं. 22/अ, 2/अ.स.प. 1/व.द.स.
 वावादेवा कला, भोपाल

चूंकि आपके वार्ड नं. 52 स्थान वावादेवा कला में भवन का निर्माण प्रारंभ किया है और निर्माण कार्य चालू है निर्माण कार्य धारा 293 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क 23 1956) के अंतर्गत अवैध है। अतः इस लिखित सूचना द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्माण कार्य फौरन बंद किया जावे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध 302 (2) एवं धारा 307 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त सूचना पत्र आयुक्त द्वारा किये गये व्यापक लिखित अधिकार के अधीन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

आपके द्वारा उक्त स्थान पर भवन अनुज्ञा के विपरीत भवन का निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। जैसे आप नगर पालिक निगम के कार्यालय में 3 दिनों में प्रस्तुत करें।

Under Power Deligated by the
 Commissioner U/S 69 (4) of
 M.P.Mpl Corp. Act. 1956

Signature

Signature

उपयंत्री
 भवन अनुज्ञा शाखा
 नगर निगम, भोपाल

Annexure-V

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

85

यांत्रिक विभाग

भवन संवर्धन गुणवत्ता

107

क्र.

युक्त क्र.

क्रमांक / भवन / वार्ड नं.

दिनांक 21/10/22

प्रति,

श्री/श्रीमति लक्ष्मी सिंह रावत

म.प्र. - 221 / भा.आ.ल.म. विहार

आवास कक्षा, भोपाल

विषय :- म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम सन् 1956 की धारा 307 उपधारा (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र

चूँकि आपके निम्नलिखित निर्माण कार्य मोहल्ला 307 के अन्तर्गत

वार्ड नं. 35 भोपाल में किया जा रहा है / किया गया है जो अवैध तथा कार्यालय

की बिना अनुमति के है और जिसके लिए आपको इस कार्यालय द्वारा सूचना-पत्र क्रमांक 4624

दिनांक 21/10/22 किया जा चुका है।

अतः अब आपको इस सूचना-पत्र के द्वारा आदेशित किया है कि क्यों न म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम सन् 1956 की धारा 307 (2) अ की शक्ति को प्रयोग में लाते हुए इस अवैध तथा बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तोड़ दिया जाए।

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर आपके द्वारा इस सम्बन्ध में आपके द्वारा विधिवत प्राप्ति कार्य प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित तथा आयुक्त को सम्बोधित लिखित वृत्तोंत पत्र द्वारा इस का पर्याप्त कारण बतलायें। कि क्यों न भवन का कार्य हटा दिया जायेगा या गिरा दिया जाये। यदि आपने पर्याप्त कारण न बतलाया तो उक्त अवधि के बाद आपका निर्माण कार्य हटा दिया जावेगा या गिरा दिया जावेगा।

उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र आयुक्त के दिए व्यापक लिखित अधिकार के अधीन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

आपके द्वारा उक्त भवन पर भवन संवर्धन पर T and CP को विपरीत
आपके पार्क की जमीन पर भवन का निर्माण किया जा रहा है जिन आप
हटावे भवन जिन आवासीय भवन हटा करे।

सहायक यंत्री
नगर पालिक निगम, भोपाल

**कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल****भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा**

क्र.५.४.३. / भ.अ.शा. / 2022

भोपाल दिनांक 4/11/2022

प्रति,

श्री रंजन कुमार रैना
प्राधिकृत संरचना इंजीनियर,
बी.एम.सी. लाईसेंस क्र. 92
217 फ्लेमिंगो आकृति इकोसिटी, बावड़ियाकलॉ,
भोपाल म.प्र.

विषय:- भवन अनुज्ञा क्र. BHO/BHO/BHO/0269/4640/2022 DATED 29/07/2022 बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, भूखंड क्र. 22ए, गौरव गृह निर्माण सोसायटी, ग्राम बावड़ियाकलॉ, भोपाल पर क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट पर भवन अनुमति क्र. BHO/BHO/BHO/0269/4640/2022 DATED 29/07/2022 जारी की गई है।

आपके द्वारा जारी भवन अनुमति के परीक्षण में पाया गया कि, आपके द्वारा भूमि उपयोग पत्र के परीक्षण किये बिना एवं भूमि के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास का परीक्षण किये बिना आरक्षित पार्क की भूमि पर भवन निर्माण अनुमति जारी की गई है, जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राकिकार से प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर 2015 में प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर द्वारा जारी की जाने वाली अनुमतियों के संबंध में नियम 26(ख)(2)(3) भवन अनुज्ञा आवेदन या आवेदन का परीक्षण नगर की प्रवृत्तशील योजना तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के साथ-साथ इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये जारी किया जायेगा एवं नियम 26(ख)(2)(2) अनुसार उन भवनों के लिये ऐसी अनुज्ञा देगा जिनका भूखंड वैधानिक रूप से स्वीकृत अभिन्यास का भाग है।

अतः उक्तानुसार आपके द्वारा जारी अनुमति के संबंध में आप अपना प्रतिवेदन 07 दिवस की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दृष्टिगत आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

o/c

२५

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल दिनांक 4/11/2022

पृष्ठां.क्र.५.४.३. / भ.अ.शाखा / 2022

प्रतिलिपि-

1. श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, एम-20/ए मनीषा काम्प्लेक्स, शाहपुरा, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./2022

भोपाल दिनांक/...../2022

प्रति,

श्री रंजन कुमार रैना
प्राधिकृत संरचना इंजीनियर,
बी.एम.सी. लाईसेंस क. 92
217 फ्लेमिंगो आकृति इकोसिटी, बावड़ियाकलॉ,
भोपाल म.प्र.

विषय:- भवन अनुज्ञा क. BHO/BHO/BHO/0269/4640/2022 DATED 29/07/2022 बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, भूखंड क. 22ए, गौरव गृह निर्माण सोसायटी, ग्राम बावड़ियाकलॉ, भोपाल पर क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट पर भवन अनुमति क. BHO/BHO/BHO/0269/4640/2022 DATED 29/07/2022 जारी की गई है।

आपके द्वारा जारी भवन अनुमति के परीक्षण में पाया गया कि, आपके द्वारा भूमि उपयोग पत्र के परीक्षण किये बिना एवं भूमि के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास का परीक्षण किये बिना आरक्षित पार्क की भूमि पर भवन निर्माण अनुमति जारी की गई है, जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर 2015 में प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर द्वारा जारी की जाने वाली अनुमतियों के संबंध में नियम 26(ख)(2)(3) भवन अनुज्ञा आवेदन या आवेदन का परीक्षण नगर की प्रवृत्तशील योजना तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के साथ-साथ इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये जारी किया जायेगा एवं नियम 26(ख)(2)(2) अनुसार उन भवनों के लिये ऐसी अनुज्ञा देगा जिनका भूखंड वैधानिक रूप से स्वीकृत अभिन्यास का भाग है।

अतः उक्तानुसार आपके द्वारा जारी अनुमति के संबंध में आप अपना प्रतिवेदन 07 दिवस की समयवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दृष्टिगत आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल दिनांक .../.../2022

पृष्ठां.क्र. 4484 / भ.अ.शाखा / 2022

प्रतिलिपि-

1. श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, एम-20/ए मनीषा काम्प्लेक्स, शाहपुरा, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./2022
प्रति,

भोपाल दिनांक/...../2022

श्री रंजन कुमार रैना
प्राधिकृत संरचना इंजीनियर, बी.एम.सी. लाईसेंस न. -92
217 फ्लेमिंगो आकृति ईको सिटी बावडिया कलां
भोपाल, म.प्र.
विषय:- नगर निगम भोपाल द्वारा आपको प्रदत्त वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर, बी.एम.सी. लाईसेंस
न. -92 को निरस्त करने के संबंध में।
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. 4784 दिनांक 04.11.2022 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह रायकवार, भूखण्ड क्रमांक 22 ए गौरव गृह निर्माण सोसायटी बावडियाकलां भोपाल पर क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट पर भवन अनुज्ञा क्र. BHO/BHO/0269/4640/2022 दिनांक 29.07.2022 जारी की गई है।

आपके द्वारा जारी भवन अनुमति के परीक्षण में पाया गया कि, आपके द्वारा भूमि उपयोग का परीक्षण किये बिना एवं भूमि के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के परीक्षण किये बिना आरक्षित पार्क की भूमि पर भवन निर्माण अनुमति जारी की गई है। जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उक्त के तारतम्य में आपको इस कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 4784 दिनांक 04.11.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है। आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिउत्तर आधारहीन एवं मान्य योग्य नहीं पाए जाने के कारण अमान्य किया जाता है।

म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर 2015 में प्राधिकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर द्वारा जारी की जाने वाली अनुमतियों के संबंध में नियम 26(ख)(2)(3) भवन अनुज्ञा आवेदन या आवेदन का परीक्षण नगर की प्रवर्तशील योजना तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के साथ-साथ इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये जारी किया जायेगा एवं नियम 26(ख)(2)(2) अनुसार उन भवनों के लिये ऐसी अनुज्ञा देगा जिनका भूखंड वैधानिक रूप से स्वीकृत अभिन्यास का भाग है। किंतु आपके द्वारा उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुये नियमों के विपरीत जाकर भवन अनुज्ञा जारी की गई है।

अतः उक्त कि तारतम्य में आपको नगर निगम भोपाल द्वारा जारी वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर, बी.एम.सी. लाईसेंस न. -92 का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है।

(श्री.एस. चौधरी कोलसानी)

आई.ए.एस.

आयुक्त

नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल दिनांक 1.6/11/2022

4935, 4936

पृष्ठांक...../भ.अ.शाखा/2022

प्रतिलिपि -

1. ए.बी.पी.ए.एस.-2, टीम लीडर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. C.O.A., Delhi IHC, Lodhi Road, New Delhi की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

नगर पालिक निगम, भोपाल

Received
DAR
Chelvi